आदेश

सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 279/F/14/XVIII-(2)/15(32)/A/2013 दिनांक 18.02.2014 के अनुक्रम में जिलाधिकारी चमोली के एतद् सन्दर्भित आदेश संख्या र-4268/तेरह-25(2012-2013) गोपेश्वर दिनांक 19.02.2014 जिसके द्वारा दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण एवं मरोम्मत कार्यो हेतु परगना स्तर पर उपजिलाधिकारियों को परियोजना कियान्वयन ईकाई (पी0आई0यू0), जो विशेष पुर्ननिर्माण ईकाई से ज्ञात है, को मुख्यकार्याधिकारी नामित किया गया है।

योजनाओं के प्राकलनों पर पी0आई0यू0 की संस्तुति के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार प्राकलनों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत (लाख में)	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	कार्यदायी संस्था	कार्य की आवश्यकता /महत्वा
01	धारगैड पेयजल येाजना का मरोम्मत कार्य	3.08	2.464	पेयजल निगम उत्तराखण्ड गोपेश्वर	पेयजल (आवश्यक सेवा)
02	सेमा-बैरासकुण्ड मोटर मार्ग के कि0मी001 से 06 तक दीवारों,स्कवरों का पुर्ननिर्माण कार्य	9.65	7.72	प्रा0ख0 लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	मोटर मार्ग का वैकल्पिक मार्ग होने के कारण
03	कुजौं पेयजल योजना मरम्मत् कार्य	3.30	2.64	पेयजल निगम उत्तराखण्ड गोपेश्वर	पेयजल(आवश्यक सेवा)
04	नगर पंचायत नन्दप्रयाग कार्यालय के समीप नाली का पुर्ननिर्माण	3.83	3.064	नगर पंचायत नन्दप्रयाग	सार्वजनिक उपयोग
05	बिजार-सैतोली हाईड्म योजना पुर्ननिर्माण कार्य	6.68	5.344	लघु सिंचाई गोपेश्वर	कृषि भूमि की सिंचाई(आवश्यक सेवा)
06	ग्राम वादुक में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन मरम्मत् कार्य	3.63	2.904	विद्युत विभाग	विद्युत आपूर्ति(आवश्यक सेवा)
07	क्षतिग्रस्त 11के0बी0क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन पुर्ननिर्माण ग्राम गोलिम	0.97	0.776	विद्युत विभाग	विद्युत आपूर्ति(आवश्यक सेवा)
08	गनपाणी गधेरे सुरेण्डा में क्षतिग्रस्त आर0सी0सी0पुलिया मरम्मत्	2.50	2.00	खण्ड विकास अधिकारी,दशोली	आवागमन हेतु
09	मटई पेयजल योजना मरम्मत् कार्य	2.07	1.656	जल संस्थान,चमोली	पेयजल (आवश्यक सेवा)
10	सिंचाई गूल घटूडी से सिमसार बछेर तक मरम्मत् कार्य	2.92	2.336	लघु सिंचाई	कृषि भूमि की सिंचाई(आवश्यक सेवा)
11	सामुहिक सिंचाई गूल रिखोली तोक घुडसाल मरम्मत् कार्य	1.73	1.384	-ऐ-	-ऐ-
12	रा0कन्या जू0हाईस्कूल दुसातगांव की सुरक्षा दीवार पुर्ननिर्माण कार्य	3.29	2.632	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोपेश्वर	सुरक्षा की दृष्टि से
13	सरपाणी पेयजल क्षतिग्रस्त योजना पुर्ननिर्माण	2.12	1.696	जल संस्थान चमोली	पेयजल (आवश्यक सेवा)

P.T.O

1– उक्त प्रस्तावित कार्यो पर 25.00(पच्चीस) लाख तक के कार्य वर्क चार्ज के आधार पर सम्पादित किये जायेगें। 25.00(पच्चीस) लाख से 100.00 लाख (एक करोड) तक के कार्यो हेतु निविदा आमत्रित की जायेगी एवं उपरोक्त निविदा की अवधि 7 दिन की होगी।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता एवं तकनीकी मानकों का पूर्णरूप से ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था गुणवत्ता के सम्बन्ध में पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

3– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य न्यूनतम अवधि में पूर्ण कर लिया जायेगा।

4– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न करने उपरांन्त कार्य/योजना की फोटो उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि कार्य की सत्यतता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

5– किये गये कार्या का भुगतान करने से पूर्व मानकानुसार कार्य की नापजोख एवं गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उस धनराशि को तत्काल मुख्यकार्याधिकारी (पी0आई0यू0) के खांते में एक सप्ताह अन्दर जमा कराना आवश्यक होगा।

6– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के तकनीकी अभियन्ता से दरों की प्रमाणिकता अवश्यक करा ली जाय।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि रखते हुए प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो के आगणन सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेगें।

8– वर्क चार्ज पर कार्य दिये जाने से पूर्व ठेकेदार की क्षमता का आंकलन भलीभांति कर लिया जाय।

9– कार्यो का आवंटन इस प्रकार किया जाय कि स्वीकृत सभी कार्यो पर कार्य साथ–साथ प्रारम्भ किये जायं तथा समय से सभी कार्य पूर्ण हो सकें।

10– प्रत्येक योजना पर 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा मेजरमेंट बुक, किये गये कार्य के फोटोग्राफस तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

11– कार्य पूर्ण होने पर कार्ययोजना का नाम, लागत, दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट, कंकरीट/बोर्ड पर अंकित किया जायेगा जिसकी पुष्टि में फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।

मुख्यकार्याधिकारी(पी0आई0यू0)/
उपजिलाधिकारी
चमोली।

कार्यालय मुख्यकार्याधिकारी(पी0आई0यू0)/उपजिलाधिकारी चमोली।

संख्या 40 /सार्व0 परि0/पी0आई0यू0/(2013–14) दिनांक चमोली 05 फरवरी 2014

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त कार्यदायी संस्था उपरोक्त तालिका अनुसार।
2– तहसीलदार चमोली।
3– खण्ड विकास अधिकारी दशोली/घाट।
4– उपकोषाधिकारी चमोली (सदस्य पी0आई0यू0)।
5– सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0/सिचांई विभाग (सदस्य पी0आई0यू0)।
6– जिलाधिकारी चमोली
7– आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
8– मा0 विधायक बद्रीनाथ/थराली।
9– निजी सचिव,मा0प्रभारी मंत्री जी,जनपद चमोली
9– जिला सूचना विज्ञान केन्द्र चमोली को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्यकार्याधिकारी(पी0आई0यू0)/
उपजिलाधिकारी
चमोली।